समाहरणालय,मुंगेर

(जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग,मुंगेर)

आदेश

कबीर अन्त्येष्ठि अनुदान योजना के अधीन निदेशक,सामाजिक सुरक्षा,बिहार,पटना के पत्रांक–98 दिनांक 23.02.12 (सामान्य घटक) एवं पत्रांक 99 दिनांक 23.02.12 के द्वारा विशेष घटक योजना के अधीन वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिये प्राप्त आवंटन को निम्न तालिका के अनुरूप सभी प्रखण्डो, नगर निगम मुंगेर, नगर परिषद जमालपुर, एवं नगर पंचायत खड़गपुर को उपावंटित किया जाता है।साथ ही उपावंटित की जा रही राशि के व्यय के संबंध में प्राप्त दिशा निदेश से सम्बंधित सचिव, समाज कल्याण विभाग बिहार,पटना के पत्रांक–200 दिनांक 25.01.12 की छाया प्रति संलग्न करते हुये निदेश दिया जाता है कि उल्लेखित दिशा निदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

क्रमांक	प्रखण्ड, नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर, पंचायत का नाम	पंचायत, एवं वार्ड की सं0	कबीर अन्त्येष्ठि के सामान्य घटक में उपांटित राशि	कबीर अन्त्येष्ठि के विशेष घटक में उपांटित राशि	कुल उपावंटित राशि (3+4का योग)
1	प्रखण्ड विकास पदा0, सदर मुंगेर।	13	13x10x1500 195000=00	13x5x1500 97500=00	292500=00
2	प्रखण्ड विकास पदा0, जमालपुर	10	10 x10x1500 150000=00	10 x5 x1500 75000=00	225000=00
3	प्रखण्ड विकास पदा0, धरहरा	13	13 x10 x 1500 195000=00	13 x 5 x1500 97500=00	292500=00
4	प्रखण्ड विकास पदा0, बरियारपुर	11	11 x10x1500 165000=00	11 x 5 x1500 82500=00	247500=00
5	प्रखण्ड विकास पदा0, ह0 खड़गपुर	18	18 x10 x1500 270000=00	18 x 5 x1500 135000=00	405000=00
6	प्रखण्ड विकास पदा0, टेटिया बम्बर	7	7 x10x1500 105000=00	7 x 5 x1500 52500=00	157500=00
7	प्रखण्ड विकास पदा0, तारापुर।	12	12 x10x1500 180000=00	12 x 5 x1500 90000=00	270000=00
8	प्रखण्ड विकास पदा0, संग्रामपुर	10	10 x10x1500 150000=00	10 x 5 x1500 75000=00	225000=00
9	प्रखण्ड विकास पदा0, असरगंज	7	7 x10 x1500 105000=00	7 x 5 x1500 52500=00	157500=00
10	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निगम/मुंगेर।	45	45 x10 x1500 675000=00	45 x 5 x1500 337500=00	1012500=00
11	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिशद जमालपुर।	36	36 x10x1500 540000=00	36 x 5 x1500 270000=00	810000=00
12	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत खड़गपुर।	18	18 x 5 x1500 135000=00	18 x 2 x1500 54000=00	189000=00
		कुल :–	28,65,000=00	14,19,000=00	42,84,000=00

1. बी0पी0एल0 परिवार के किसी भी उम्र के सदस्य की स्वभाविक या आकस्मिक रूप से मृत्यु की स्थिति में अन्त्येष्ठि क्रिया सम्पन्न कराने के निमित्त 1500.00 (एक हजार पॉच सौ) रूपये नगद भुगतान का प्रावधान है।
2. जिले के सभी पंचायतो को–प्रत्येक पंचायत के लिये 15 अनुदान की दर से (10सामान्य घटक,5 विशेष घटक) राशि दी जा रही है।
3. जिले के नगर निगम/नगर परिषदो को–प्रत्येक नगर निगम /नगर परिषद वार्डो के लिये 15 अनुदान की दर से (10 सामान्य घटक,5 विशेष घटक) राशि दी जा रही है।
4. नगर पंचायतों को–प्रत्येक नगर पंचायत वार्ड के लिये 7 अनुदान की दर से (5 सामान्य घटक,2 विशेष घटक) राशि दी जा रही है।

5.प्रखण्ड/नगर निकायों द्वारा प्राप्त राशि को कबीर अन्त्येष्ठि निधि (प्रखण्ड/नगर निकाय का नाम)के नाम से बैंक एकाउन्ट में रखा जायेगा। इस खाते का संचालन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी,नगर निकाय द्वारा किया जायेगा।

(क)प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निकाय द्वारा प्रथम किस्त में निम्न प्रकार से राशि पंचायतो/नगर निकाय वार्डो को उपलब्ध कराऐगे।

(ख) पंचायत/नगर निगम/नगर परिषद के लिये–5 मृत्तको के भुगतान हेतु राशि मो0–7500.00 रूपये।

(ग) नगर पंचायतो के लिये–3 मृत्तको के भुगतान हेतु राशि मो0–4500.00 रूपये।

इस राशि को पंचायतो/नगर निकाय वार्डो में बैंक एकाउन्ट में रखा जायेगा जिसका संधारण पंचायतो के मामले में मुखिया/पंचायत सेवक एवं नगर निकाय के मामलों में वार्ड कमिश्नर तथा नगर निकाय के किसी कर्मचारी द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा।

मुखिया/वार्ड कमिश्नर द्वारा उनके क्षेत्रान्तर्गत बी0पी0एल0 परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर अविलम्ब उन्हे निर्धारित राशि (1500=00)रूपये का भुगतान किया जायेगा।

6.उपावंटित की जा रही राशि का व्यय संलग्न विभागीय पत्रांक 200 दिनांक 25.01.12 में उल्लेखित दिशा निदेश एवं उपरोक्त दिशा निदेश का अक्षरशः पालन करते हुये किया जाय।

7.कबीर अन्त्येष्ठि अनुदान योजना के अन्तर्गत पूर्व में उपावंटित राशि एवं वर्तमान में उपावंटित की जा रही राशि का डी0सी0विपत्र शीघ्र भेजना सुनिश्चित किया जाय,(डी0सी0विपत्र वर्षवार अलग–अलग)ताकि सरकार को ससमय डी0सी0विपत्र भेजा जा सके।

इस संबध में आपको आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त उपावंटित राशि का चेक प्राप्त करने हेतु अपने नाजिर/कैशियर को नाजिर रसीद के साथ पत्र प्राप्ति के तीन दिनो के अन्दर जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग,मुंगेर में प्रतिनियुक्त करें।

अनुलग्नक :–यथोक्त।

ह0

जिला पदाधिकारी
मुंगेर

ज्ञापांकः–398/सा0सु0को0दिनांकः–9.7.12

प्रतिलिपि :– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी(मुंगेर जिला)/कार्यपालक पदाधिकारी,नगर निगम,मुंगेर/कार्यपालक पदाधिकारी,नगर परिषद जमालपुर एवं कार्यपालक पदाधिकारी,नगर पंचायत खड़गपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी,सदर,खड़गपुर एवं तारापुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– नाजिर,जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मुंगेर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी,(एन0आई0सी0)मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।

04/07/12

जिला पदाधिकारी
मुंगेर